प्रेस विज्ञप्ति
19.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के एक निवासी के साथ हुई "डिजिटल अरेस्ट" साइबर धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 16.10.2026 को मुकेश कुमार पुखराज जैन उर्फ मुकेश भाई को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गोवा ने उन्हें दिनांक 19.10.2026 तक ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। इस मामले में गिरफ्तार होने वाला वह छठा व्यक्ति है।

ईडी ने उत्तर गोवा के साइबर अपराध पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की थी। पीड़िता को वीडियो कॉल पर रखा गया, उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसके विरुद्ध आपराधिक जाँच चल रही है और उस पर दबाव डालकर लगभग 2.6 करोड़ रुपये ऐसे खातों में हस्तांतरित करवाए गए, जिन्हें झूठे तौर पर "गुप्त निगरानी खाते" बताया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि यह धन ऐसी कंपनियों के एक नेटवर्क में पहुँचा, जिसे साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त करने, उसे नकदी में बदलने और तत्पश्चात विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इस नेटवर्क के खाते 20 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पीड़ितों की 300 से अधिक शिकायतों और 160 से अधिक प्राथमिकी में दर्ज हैं। इन मामलों में लगभग 417 करोड़ रुपये की हानि की सूचना दी गई है।

मुकेश कुमार पुखराज जैन इस नेटवर्क के लिए आरटीजीएस एजेंट के रूप में कार्य करता था। उसने बिचौलियों के माध्यम से नेटवर्क के खातों में बैंकिंग माध्यम से धनराशि जमा करवाने की व्यवस्था की और इसके बदले नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों से नकदी प्राप्त कर उसमें से कमीशन रखता था। पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में उसने स्वीकार किया है कि उसे जानकारी थी कि इस श्रृंखला में आने वाला धन साइबर धोखाधड़ी, जिसमें डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी भी शामिल है, से प्राप्त हुआ था। ईडी की तलाशी के बाद उसने इस गतिविधि से संबंधित साक्ष्य रखने वाले अभिलेखों और मोबाइल हैंडसेटों को नष्ट कर दिया। वह अपने बयान के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ और बाद में उपस्थित होने पर भी टालमटोल भरे जवाब दिए।

आगे की जाँच जारी है।